DY No Pen 01- Gen-II (2022-23)

संख्या--3ए--3--भत्ता--01 / 2022-.. / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:--..................

विषयः-- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक--**01/01/2022** के प्रभाव से **31%** के स्थान पर **34%** महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०--7530/वि० दिनांक--09/11/2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक--01/07/2021 के प्रभाव से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहता की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०--1/2/2022-E-II(B) दिनांक--31/03/2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक--01/01/2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 31% से बढ़ाकर 34% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि--

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक--01 / 01 / 2022 के प्रभाव से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित महगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2022 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. [illegible] महँगाई [illegible] राहत [illegible] सेवानिवृत्ति [illegible]

DK
Audit
18/4/22

असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022–3024/वि० पटना, दिनांकः– 08/04/2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

08/4/2022

A.G. 11 APR 2022 PATNA